संख्या-72/2024/919/22-2-2023-17(300)/2017

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 05 अगस्त 2024

विषयः-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामसेवक पुत्र श्री चन्दन, निवासी जनपद-खीरी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1018/प्रो0/214/पार्ट-3, दिनांक 10.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामसेवक पुत्र श्री चन्दन, ग्राम-कुटरी, थाना-मैगलगंज, जनपद-खीरी का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.08.2007 को तांत्रिक के रूप में अपने सहअभियुक्त गिरजा दयाल द्वारा पुत्र की चाहत में उसके घर पर अनुष्ठान किया गया, जिसमें 12 वर्षीय कु0 नीरज की बलि चढ़ाकर उसकी हत्या कारित कर शव के टुकड़े-टुकड़े करके जलाया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-741/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-06, हरदोई के आदेश दिनांक 18.01.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2013 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2021 तक 13 वर्ष 05 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 04 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा सहअभियुक्त गिरजा दयाल द्वारा पुत्र की चाहत में उसके घर पर अनुष्ठान किया गया, जिसमें 12 वर्षीय कु0 नीरज की बलि चढ़ाकर उसकी हत्या कारित की तथा शव के टुकड़े-टुकड़े करके उनको जलाने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/ 22-2-2018-07 जी0/2018, दिनांक 01.08.2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/ 2021/1382/ 22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामसेवक पुत्र श्री चन्दन की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामसेवक (बन्दी संख्या-26135) पुत्र श्री चन्दन, निवासी जनपद-खीरी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-72/2024/3797(1)/22-2-2022 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।

2- पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।